

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
40/021	53/188 RTA	पट्टा	दबडी

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगदीश	बनाम	सामस्वरूप

वकील :- **भर सिंह जाधेन** **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

28/21
 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटी0 एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/07/2021 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा, जिला बारां (राज0)

20/21
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अच्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/8/21 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

25/21
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी गणों की ओर से श्री. भुक्तेश शर्मा एडवोकेट द्वारा अपर टेकिंग पेश की है। प्रतीक हेतु सम्मन जारी है। वास्ते जमाने/अकालत नामा पत्रावली दिनांक 6/10/21 को पेश हो।

Handwritten notes:
 Understand
 1/10/21
 (Signature)

10/21
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर... की तारीख... पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत् पत्रावली न्यायालय में दिनांक 4/9/22 को पेश हो।

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

18/23

पत्रावली MRC लेम्बो के बाद पूर्ववत् स्थिति के लिए
देश हुई। वकील पत्रों अनुपस्थित। न्यायालय के
रुके-रुक कर तीन बार आवान लॉवाई हुई। कोई
उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण ठहरा हुआ। प्रकरण ठहरा हुआ।
खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रथम श्रेणी के
राखिल रूप में है।

112